wabazar. Gursahaiganj, Jayas, Dumanyaganj, Madhaha, Karhal, Richha, Jaspur. Rudraprayag, Herbartpur, Bhinga, Koirauna, Payagpur, Kherabad.

1994-95

Loharghat, Badagaon, Naugaon, Barkot, Kosi, Ghansali, Kalpi, Lambgaon, Bamraulli. Maneuri, Bbarwari, Ajuha, Bazar, Lalgopalganj, Sirsa. Bharatganj, Karahhana. Manda, Kasimpur, Ghiror, Jiyanpur. Gangoh. Tiloi, Rampur, Mathura. Etwabazar, Kishnapur, Bisal, Kushinagar, Jim Corbett Parak, Pach-pedva. Shaktinagar. Chiriyakot, Damta, Pawau, Kanskhet, Naugaonkhal, Sat-pauli. Lakhawar, Badrinath, Chotwara-gaon. Fefana, Awagarh, Peenimadra, Basantipur, Nhamia, Aliganj, Hardua-ganj

Shifting of Anger prim Burean office from Calcutta

440 SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the shifting of the Finger Print Bureau from Calcutta to Delhi is in progress;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) the number of officers and employees who have already been shifted to Delhi and those proposed to be shifted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) In pursuance of the recommendations of the National Police Commission and for functional and administrative reasons, it was decided in 1987 to shift some operational sections of Central Finger Print Bureau from Calcutta to Delhi under the administrative control of the National Crime Records Bureau.

(c) Since 1987, 4 officers and 19 employees have been shifted to Delhi. It is proposed to shift 9 more employees.

गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवा चलाने वाले अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही

441. श्री भंवर लाल पंवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो एजेंसियां, संस्थाएं तथा व्यक्ति गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाएं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं, ताकि उनके खिलाफ भारतीय डाकघर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए और इन अभिकरणों को इस कार्य से रोका जा सके ;

(ख) पुलिस के पास कितनी रिपोर्टें की गईं और अब तक कितने मुकदमें दायर किए गए ;

(ग) गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाओं को चलाए जाने के कारण सरकार को अनुमानत: कुल कितने राजस्व की सालाना हानि हुई ;

(घ) क्या ये गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाएं पिछले दो वर्षों के दौरान ठीक समय पर डाक-सेवा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के कारण शुरू हुई हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां । जब कभी पर्याप्त सबूत के साथ भारतीय डाकघर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने का मामला ध्यान में आता है, तो कानून के उपबंधों के अधीन कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न भागों में चार मामलों की पुलिस को रिपोर्ट की गई । विस्तृत जांच करने के बाद न्यायालय में मामले पुलिस दायर करती है ।